ई0पत्रावली संख्या–50430 / 2023

प्रेषक,

युगल किशोर पन्त,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग–02 देहरादून : दिनांक अक्टूबर, 2025

विषयः– राज्य सैक्टर की डी0पी0आर0 निर्माण मद के अन्तर्गत निर्माणाधीन योजनाओं की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–4739 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / नियोजन / पी0–27(राज्य सैक्टर), दिनांक 02.08.2025 एवं पत्र संख्या–5506 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / नियोजन / पी0–27(राज्य सैक्टर), दिनांक 06.09.2025 में किये गये प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सैक्टर सर्वेक्षण एवं अन्वेषण–डी0पी0आर0 निर्माण मद में संलग्न–01 में अंकित विवरणानुसार 02 योजनाओं के प्राक्कलन की विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत कुल लागत रू0 61.67 लाख (रूपये इकसठ लाख सड़सठ हजार मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 मे रू0 40.43 (रू0 चालीस लाख तिरालीस हजार मात्र) ही धनराशि व्यय हेतु निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(i) प्रश्नगत कार्य हेतु Uttarakhand Procurement Rules, 2017, समय–समय पर यथासंशोधित, वित्तीय हस्त पुस्तिका एवं मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय निर्गत शासनादेशों एवं आदेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(ii) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(iii) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(iv) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047 / XIV–219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

(v) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपभोग दि0 31.03.2026 तक करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा कृत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा। अवमुक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(vi) सम्बन्धित धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत किया जायेगा, धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। जहां कही आवश्यक हो यथावश्यकता सक्षम अधिकारी / शासन की स्वीकृति व्यय से पूर्व प्राप्त कर ली जाय।

(vii) योजनाओं की स्वीकृति में पुर्नावृत्ति / दोहराव न होने की पुष्टि भी अवश्य कर ली जाये। यदि किसी योजना की स्वीकृति आपदा विभाग से हो जाती है तो स्वीकृत योजना की धनराशि नियमानुसार शासन को समर्पित की जाय। इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग का होगा।

(viii) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(ix) धनराशि व्यय करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत कार्य किसी अन्य योजना/विभाग से स्वीकृत/वित्त पोषित न हो। अन्य योजना/विभाग से स्वीकृत/वित्त पोषित होने की दशा में इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोग न किया जाय।

(x) सभी निर्माण कार्य समय–समय पर गुणवत्ता एवं मानकों के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायें।

(xi) कार्यों की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

(xii) स्वीकृत लागत के सापेक्ष कार्य की क्रियान्वयन में यदि कम धनराशि व्यय होती है तो शेष धनराशि शासन को नियमानुसार समर्पित की जाय।

(xiii) अवमुक्त की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व में उक्त योजनाओं हेतु कोई धनराशि तो अवमुक्त नहीं की गयी है, अर्थात् दोहराव की स्थिति उत्पन्न न हो। यदि ऐसी कोई अनियमितता पायी जाती है तो इस हेतु प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष वित्तीय वर्ष 2025–26 में अनुदान संख्या–20 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2700–मुख्य सिंचाई–80–सामान्य–005–सर्वेक्षण तथा अनुवेषण–02–00 डी0पी0आर0 निर्माण की 27–व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान मद के नामे डाला जायेगा।

3– वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–287566/E-79713/09(150)2019/XXVII (1)/2025, दिनांक 31 मार्च, 2025 में दिये गये दिशा–निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये और वांछित सूचनायें निर्धारित प्रपत्रों पर यथासमय शासन को उपलब्ध करा दी जाये।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

Digitally signed by
YUGAL KISHORE PANT
Date: 14-10-2025
15:28:10

(युगल किशोर पन्त)
सचिव।

ई0पत्रावली संख्या–50430/2023, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कौलागढ़ रोड, देहरादून।
3. वित्त अनु0–2,/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, ऊधमसिंह नगर एवं पौड़ी गढ़वाल।
5. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. निदेशालय, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
7. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

संलग्नक–1

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	योजना का नाम	लागत	वित्तीय वर्ष 2025–26 में अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	4
1	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा–33/2025 जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर के ग्राम दयाकाटल में (रवासन नदी के ऊपर निर्मित पीपलडांगा पुल से लगभग 500 मी0 ऊपर की ओर) बैराज निर्माण की डी0पी0आर0 तैयार किये जाने हेतु प्राक्कलन।	53.10	31.86
2	मा0 मुख्य मंत्री जी घोषणा संख्या–233/2024 जनपद उधमसिंह नगर के विधानसभा क्षेत्र गदरपुर के अन्तर्गत ग्रामसभा विजयनगर, कालीनगर, धीमरी ब्लाक, श्रीरामपुर एवं विभिन्न कालोनियों में बरसार के पानी निकासी हेतु ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण–प्रारम्भिक सर्वेक्षण कार्य एवं डी0पी0आर0 गठन हेतु प्राक्कलन)	8.57	8.57
	योग	**36.51**	**40.43**

(रूपये चालीस लाख तिरालीस हजार मात्र)

Digitally signed by
Jai Lal Sharma
Date: 14-10-2025
17:49:38

(जे0एल0 शर्मा)
संयुक्त सचिव।